तारीख हुक्म	**न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बून्दी** **प्रकरण संख्या–51/2023** **बउनवान् प्रिया वगैरह बनाम सुनील**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.04.2026	प्रार्थिया अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। बहस बाबत् अंतरिम भरण–पोषण सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि प्रार्थिया का विवाह अप्रार्थी सुनील के हुआ था। प्रार्थिया अप्रार्थी की विवाहित पत्नी है। विवाह के समय प्रार्थिया के पिता ने दहेज का सामान खरीदने के लिए 2,00,000/–रूपये नगद दिए व प्रार्थिया को सोने चांदी के जेवर दिए। प्रार्थिया का पति अप्रार्थी आये दिन शराब पीकर मारपीट करता, जिसकी शिकायत प्रार्थिया अपनी सास आशाबाई व ससुर दिनेश से करती तो वे भी प्रार्थिया से भला बुरा कहते। प्रार्थिया अपने पति से अपने व बच्चे के खर्च के लिए पैसे मांगती तो अप्रार्थी उसके साथ मारपीट करता। दिनांक 08.10.2021को प्रार्थिया के पति ने उसके साथ मारपीट की व घर से निकाल दिया। प्रार्थिया अपने बच्चे को लेकर के. पाटन अपने पीहर आई, जहां सारी बाते अपने माता–पिता को बताई। प्रार्थिया के पिता ने समझाईश हेतु अप्रार्थी सुनील व उसके घर वालों को बुलाया तो अप्रार्थी ने प्रार्थिया के माता–पिता के सामने गाली गलौच व मारपीट की। प्रार्थिया अपने पिता के घर निवास कर रही है। प्रार्थिया के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। अप्रार्थी ड्राईवरी का कार्य करता है, जिससे अप्रार्थी 20,000/–रूपये प्रतिमाह कमाता है। जिससे अप्रार्थी प्रार्थिया व उसकी बच्ची का भरण पोषण करने में सक्षम है। उसे अपने व अपनी बच्ची के भरण–पोषण के लिये 10,000/–रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता है। अतः उसे अप्रार्थी से 10,000/–रूपये प्रतिमाह अंतरिम भरण–पोषण दिलाया जावे। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के अध्ययधीन शपथ पत्र भी पेश किया है। जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थिया का विवाह अप्रार्थी के साथ होना स्वीकार है। प्रार्थिया ने कभी भी पत्नी धर्म का पालन नहीं किया, सदैव परिवार में लड़ाई झगड़ा करना एवं अलग रहने के लिए परेशान करती थी। अप्रार्थी कभी भी शराब नहीं पीता है। प्रार्थिया लड़ाई झगड़ा कर स्वयं अपनी मर्जी से	

	बच्ची सुमन को लेकर अपने पीहर में आई थी और स्वेच्छा से विगत चार–पांच साल से अपने माता–पिता के पास रह रही है। अप्रार्थी तथा उसके माता–पिता ने प्रार्थिया को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रार्थिया अपने माता–पिता के पास ही रहना चाहती है। प्रार्थिया स्वयं कार्य करके आय अर्जित करती है। अप्रार्थी पहले ड्राईवरी का कार्य करता था, परन्तु अप्रार्थी का एक्सीडेंट हो जाने से उसका पूरा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया। पैरो से लाचार हो चुका है। लाखों रूपये उधार लेकर इलाज करवाने से अप्रार्थी बर्बाद हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया अप्रार्थी से भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अप्रार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के अध्ययधीन शपथ पत्र भी पेश किया है। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि प्रार्थिया द्वारा न्यायालय के समक्ष सशपथ प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी द्वारा घर से निकाल देने के तथ्य प्रकट किये है। दोनों पक्षों के कथनों से व अभिवचनों से यह प्रकट है कि वर्तमान में प्रार्थिया अप्रार्थी से अलग रह रही है तथा प्रार्थिया व अप्रार्थी का एक पुत्री होना भी न्यायालय के समक्ष प्रकट है, जो कि वर्तमान में प्रार्थिया के पास होना प्रार्थिया ने जाहिर किया है। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी का ड्राईवरी का कार्य करना दर्शित किया है। न्यायालय के विनम्र मत में न्यायालय को प्रार्थिया व अप्रार्थी के वैवाहिक स्थिति के संबंध में ध्यान देना है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया का विवाह अप्रार्थी से होना स्वीकृत स्थिति है और अप्रार्थी का प्रार्थिया का पति होते हुए यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह प्रार्थिया तथा उसकी पुत्री का भरण–पोषण करे। अप्रार्थी के द्वारा खंडन किए गए तथ्य साक्ष्य से संबंधित है जिसका न्यायालय इस स्तर पर निर्धारण नहीं कर सकता है। प्रार्थिया की ओर से शपथ पत्र भी पत्रावली पर पेश किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थिया द्वारा पेश अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह प्रत्येक माह प्रार्थिया के भरण पोषण के लिये 2,000/–रूपये तथा उसकी पुत्री	

	गुंजन को 1,000/–रूपये, इस प्रकार कुल 3,000/–रूपये प्रार्थना–पत्र पेश किये जाने की दिनांक 11.10.2022 से अदा करेगा। अप्रार्थी अंतरिम भरण–पोषण के रूप में निर्धारित की गई राशि प्रार्थिया के द्वारा बैंक खाता विवरण उपलब्ध करवाए जाने पर उसके बैंक खाते में प्रतिमाह की पांच तारीख को जमा करवायेगा। प्रार्थिया यदि अन्य विधि के तहत कोई राशि अप्रार्थी से भरण पोषण बाबत् प्राप्त कर रही है तो वह राशि, इस राशि में समायोजित की जायेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल पत्रावली रहे। **(डॉ. ऋचा चायल)** **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** **के.पाटन, जिला बून्दी**